मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक 2784/2867/2017/10-2 दिनांक 04/10/2017

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(कैम्पा)
म.प्र. भोपाल।

विषयः— कैम्पा के संबंध में दिनांक 08.09.2017 का कार्यवाही विवरण।

संदर्भः— अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक की टीप कमांक 239 दिनांक 25.09.2017

---00---

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित टीप के संबंध में अपर मुख्य सचिव, वन की अध्यक्षता में दिनांक 08.09.2017 को बैठक आयोजित की गई थी, जिसका कार्यवाही विवरण उपस्थित सर्व संबंधित अधिकारियों को अपने स्तर से प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार।

4/10/17
(एस.आई.अजीज)
अवर सचिव
म0प्र0 शासन वन विभाग

APCCF (CAMPA)

6.10.17

ACF (Campa)/A.O.

SO 32
6.10.17

6/10/17

दिनांक 08.09.2017 की बैठक का कार्यवाही विवरण

—00—

दिनांक 08.09.2017 को अपर मुख्य सचिव, वन की अध्यक्षता में कैम्पा के प्रस्ताव बावत बैठक का आयोजन किया गया जिसमें परिशिष्ट–1 अनुसार अधिकारीगण उपस्थित हुये। बैठक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक कैम्पा द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विस्तारपूर्वक चर्चा उपरांत निम्न निर्णय लिए गए:–

1. क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु तैयार किये गये प्रति हैक्टर व्यय को मानव दिवस में परिवर्तित कर प्रस्ताव 07–दिवस में शासन को भेजा जाये।

2. राज्य स्तरीय संचालन समिति की 8वीं बैठक दिनांक 3.10.2016 के एजेण्डा क्रमांक 6 में समिति द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण अंतर्गत वनीकरण कार्यो हेतु रूपये 3.00 लाख से रूपये 4.00 लाख प्रति हेक्टेयर राशि तक के व्यय को औचित्यपूर्ण पाया गया था। तदानुसार 10 वन मण्डलों की कुल राशि रूपये 31.69 करोड़ तथा योजना अनुसार प्रथम वर्ष के प्रावधानित कार्यो के लिये राशि रूपये 10.24 करोड़ के व्यय का अनुमोदन किया गया था। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया था कि शेष क्षतिपूर्ति वनीकरण परियोजनाओं का पुनः परीक्षण किया जाये ओर प्रति हेक्टेयर अधिक व्यय आने का औचित्य देखा जाये। समिति के द्वारा उक्तानुसार प्रस्तावों का युक्तिकरण कर अपर मुख्य सचिव वन को परीक्षण उपरांत प्रस्तावों के अनुमोदन हेतु अधिकृत किया गया था।

समिति के उपरोक्त निर्णय के पालन में 52 संशोधित परियोजनायें प्रस्तुत की गई, जिस पर निर्णय लिया गया कि जो 40 परियाजनाऐं रूपये 3.00 से रूपये 4.00 लाख प्रति हैक्टर के अंदर हैं, उस हेतु स्वीकृति दी जाती है। शेष परियोजनायें, जो रूपये 4.00 लाख प्रति हैक्टेयर से अधिक हैं, उन्हें पुनः अगली राज्य स्तरीय संचालन समिति की बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाये।

3 राज्य स्तरीय संचालन समिति की 8वीं बैठक दिनांक 3.10.2016 के एजेण्डा क्रमांक 6 में समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया था कि ऐसी क्षतिपूर्ति वनीकरण परियोजनाओं, जिनका क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से कम है ओर परियोजना राजस्व भूमि पर तथा वन क्षेत्र से दूर प्रस्तावित है, उन्हें पृथक–पृथक संचालित नहीं करते हुये ऐसी परियोजनाओं को जोड़कर, बड़े क्षेत्र में वृक्षारोपण प्रस्तावित किये जाने की संभावना पर विचार किया जावे।

निरंतर 2

4. कैम्पा की राज्य स्तरीय संचालन समिति की बैठक दिनांक 07.11.15 के एजेण्डा क्रमांक 4.6 अंतर्गत प्रस्तुत वन विद्यालय के विकास के लिये स्वीकृत राशि से वन विद्यालय झाबुआ एवं वन रक्षक प्रशिक्षण शाला गोविन्दगढ़ हेतु नवीन छात्रावास निर्माण हेतु 2 प्रस्तावों की राशि क्रमशः रूपये 99.49 लाख एवं रूपये 99.49 लाख का अनुमोदन किया गया।

5. प्रदेश के वन विद्यालयों में प्रशिक्षण हेतु विभिन्न विषयों पर छोटी छोटी वीडियो फिल्म बनवाई जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

6. कैम्पा अंतर्गत आस्थामूलक कार्य / मानव संसाधन विकास एवं अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु कितनी राशि आज की स्थिति में शेष है, की जानकारी प्रस्तुत की जाये। साथ ही भविष्य के प्रस्तावों में आस्थामूलक कार्य हेतु प्रोजेक्ट का 5% मानव संसाधन हेतु प्रोजेक्ट का 1% अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु प्रोजेक्ट का 4% तथा पर्यवेक्षण शुल्क 10% रखे जाने की सहमति दी गई।

7. राज्य स्तरीय संचालन समिति की 6वी बैठक दिनांक 07.11.2015, 7वी बैठक दिनांक 24.06.2016 एवं 8वी बैठक दिनांक 03.10.2016 में स्वीकृत एन.पी.व्ही. अंतर्गत वृक्षारोपण एवं क्षतिपूर्ति वनीकरण योजनाओं अंतर्गत गत वर्ष जो भूमि तैयारी की गई थी, उसमें वर्ष 2017–18 में रोपण किये जाने हेतु राशि रूपये 46.19 करोड़ विमुक्त करने के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उक्त राशि राज्य स्तरीय संचालन समिति की आगामी बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जावेगी। वर्ष 2017–18 में उक्तानुसार एन.पी.व्ही. अंतर्गत वृक्षारोपण एवं क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण में किये गये रोपण के लिये राशि रूपयें 46.19 करोड़ वनमण्डलों को विमुक्त करने की सैद्धांतिक सहमति दी गई। निर्देशित किया गया कि वर्ष 2017–18 में उक्तानुसार रोपण के लिये चाही गई राशि के प्रस्ताव बनाकर शासन को अलग से प्रस्तुत किये जायें।

3/10/17

(एस.आई.अजीज)
अवर सचिव
म.प्र. शासन वन विभाग

परिशिष्ट–1

दिनांक 08.09.2017 की बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची

1. डॉ0 अनिमेष शुक्ला, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख
2. श्री एम0के0सपरा, विशेष प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
3. श्री एस0पी0रियाल, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास)
4. श्री बी0पी0गुप्ता, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
5. कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव, वन
6. श्री संजय मोहरीर, अपर सचिव, वन

11/10/17

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग